राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–81 / 2020

डॉ. अंकिता चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. प्रिंसिपल, आरयूएचएस–सीएमएस, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनियां, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पी.एस. तोमर, अधिकवक्ता आरयूएचएस

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुलग्नक–1 के द्वारा Walk-in-interview के आधार पर एक वर्ष के लिए Resident post (Non-practicing) पर हुई थी। अपीलार्थी ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परंतु संबंधित अधिकारी ने मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया। अपीलार्थी के दिनांक 08.04.2019 से मातृत्व अवकाश पर जाने के उपरांत अपीलार्थी का वेतन रोक दिया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किये जाने एवं अपीलार्थी को Sti Fund दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति Walk-in-interview के आधार पर एक वर्ष के लिए Resident post (Non-practicing) पर हुई थी। अपीलार्थी लोकसेवक की परिभाषा में नहीं आती है और यूनिवर्सिटी के विरूद्ध अपील अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की एक वर्ष की कार्यावधि दिनांक 14.09.2019 को समाप्त हो रही थी। इस कारण से अपीलार्थी की दिनांक 26.08.2019 से 14.09.2019 की अवधि के लिए केवल 20 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के 1 वर्ष के कार्यकाल की अवधि में से केवल 20 दिन ही मातृत्व अवकाश हेतु शेष थे, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति Tenure basis appointment के आधार पर यूनिवर्सिटी (आरयूएचएस) द्वारा की गई थी। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 लागू नहीं होता है। अतः यह अपील इस अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)